

# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : भानीराम आर0ए0एस0

वाद सं0 : 120 सन 2017

अनवान :-

1. तुलछाराम पुत्र अमीचन्द जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
2. रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।

वादीगण

## बनाम

1. जुगलकिशोर 2 महावीर 3 पोखरराम पि0 अमीचन्द जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी स्व ख्यालीराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
5. चन्द्रो 6. सिमा 7. लिछमा 8. सावत्री 9 रामी पत्नी अमीचन्द जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
10. बुधराम 11 छगनलाल पि0 जुगलकिशोर जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
12. कमलेश पुत्र महावीर जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
13. केशाराम पुत्र तुलछाराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
14. जीतराम पुत्र पोखरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88,  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 08.04.2017

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 15/14 के खसरा न0 447 की 1.9980हैक्ट व खसरा न0 453/1 की 0.6320हैक्टयर व खसरा न0 1101 की 3.8820हैक्ट खसरा न0 1241/1 की 0.5950हैक्टयर खसरा न0 1242 की 1.8210हैक्टयर कुल 8.9280हैक्टयर भूमि जिसके अमीचन्द वल्द मलुराम खातेदार काश्तकार थे। रोही मौजा ढाणी बिजारणिया के खाता संख्या 3/3 के खसरा न0 490 की 1.2270हैक्टयर व खसरा न0 492 की 3.8570हैक्ट कुल 5.0840हैक्टयर भूमि जिसके अमीचन्द पुत्र मलुराम खातेदार काश्तकार थे। अमीचन्द पुत्र मलुराम का दिनांक 20.02.2016 को देहान्त हो चुका है उनका लडका ख्यालीराम भी दिनांक 12.10.2015 को फोट हो चुका है एव जिसके वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 है अन्य वारिसान वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 , 5 ता 9 है अमीचन्द पुत्र मलुराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अपने पौत्र रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम , छगनलाल बुधराम पि0 जुगलकिशोर , कमलेश पुत्र महावीर , केशाराम पुत्र तुलछाराम , जीतराम पुत्र पोखरराम को करवा दी थी। ढाणी बिजारणिया के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.0840हैक्टयर भूमि में मुताबिक वसीयत वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 15/14 की कुल 8.920हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 ,9 जो कि वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है अब रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 15/14 की कुल 8.9280हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

1 ता 3 व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काशतकार है इसी प्रकार रोही मोजा ढाणी बिजारणीया के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.0840 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 10 ,11 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 1/5 हिस्सा के खातेदार काशतकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे वादीगण ने अपने वाद की ताईद में जमाबन्दी रोही मौजा कानसर , ढाणी बिजारणीया , मृत्यू प्रमाण पत्र , वारिस प्रमाण पत्र , वसीयत की प्रति पेश की गई है।

वादीगण का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता सत्यप्रकाश कायल न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादभूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। ईकबाल दावा शामिल मिसल किया गया। जाकर वकील वादीगण की एकपक्षिय बहस सुनी गई।

वकील वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया की रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 15/14 के खसरा न0 447 की 1.9980 हैक्ट व खसरा न0 453/1 की 0.6320 हैक्टयर व खसरा न0 1101 की 3.8820 हैक्ट खसरा न0 1241/1 की 0.5950 हैक्टयर खसरा न0 1242 की 1.8210 हैक्टयर कुल 8.9280 हैक्टयर भूमि जिसके अमीचन्द वल्द मलुराम खातेदार काशतकार थे। रोही मौजा ढाणी बिजारणीया के खाता संख्या 3/3 के खसरा न0 490 की 1.2270 हैक्टयर व खसरा न0 492 की 3.8570 हैक्ट कुल 5.0840 हैक्टयर भूमि जिसके अमीचन्द पुत्र मलुराम खातेदार काशतकार थे। अमीचन्द पुत्र मलुराम का दिनांक 20.02.2016 को देहान्त हो चुका है उनका लडका ख्यालीराम भी दिनांक 12.10.2015 को फोट हो चुका है एव जिसके वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 है अन्य वारिसान वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 , 5 ता 9 है अमीचन्द पुत्र मलुराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अपने पौत्र रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम , छगनलाल बुधराम पि0 जुगलकिशोर , कमलेश पुत्र महावीर , केशाराम पुत्र तुलछाराम , जीतराम पुत्र पोखरराम को करवा दी थी। ढाणी बिजारणीया के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.0840 हैक्टयर भूमि में मुताबिक वसीयत वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 खातेदार काशतकार दर्ज है तथा रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 15/14 की कुल 8.920 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काशतकार है।

प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 ,9 जो कि वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है अब रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 15/14 की कुल 8.9280 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काशतकार है इसी प्रकार रोही मोजा ढाणी बिजारणीया के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.0840 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 10 ,11 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 1/5 हिस्सा के खातेदार काशतकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उक्तानुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है अपने कथनों की ताईद में ईकबालदावा भी पेश किया जा चुका है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादीगण की एकपक्षिय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादभूमि पूर्व में अमीचन्द वल्द मलुराम बतौर खातेदार काशतकार थे। प्रस्तुत

वसीयत के अनुसार अमीचन्द पुत्र मलुराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत की गई थी अमीचन्द पुत्र मलुराम का देहान्त हो चुका है जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण ही जायज व कानूनी वारिसान है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है अमीचन्द पुत्र मलुराम के देहान्त होने पर वादीगण अमीचन्द पुत्र मलुराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 ,9 जो कि वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है वादीगण के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण के वाद के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों की ताईद में ईकबाल दावा पेश किया गया है।

इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति व दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 15/14 की कुल 8.9280हैक् भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार रोही मौजा ढाणी बिजारणीया के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.0840हैक्टर भूमि में वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 10 ,11 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के साथ 1000/-रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल मिसल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 4/4/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(भानीराम)  
उप सहायक अधिकारी (राजस्व)  
सहायक कलेक्टर एवं  
नोहर (दुर्गापुर)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

**पर्चा-डिक्री**

**न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)**

पीठासीन अधिकारी का नाम : भानीराम, आर0ए0एस0

अनवान :-

1. तुलछाराम पुत्र अमीचन्द जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
2. रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।

**वादीगण**

**बनाम**

1. जुगलकिशोर 2 महावीर 3 पोखरराम पि0 अमीचन्द जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी स्व ख्यालीराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
5. चन्द्रो 6. सिमा 7. लिछमा 8. सावत्री 9. रामी पत्नी अमीचन्द जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
10. बुधराम 11 छगनलाल पि0 जुगलकिशोर जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
12. कमलेश पुत्र महावीर जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
13. केशाराम पुत्र तुलछाराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
14. जीतराम पुत्र पोखरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन कानसर तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर

**प्रतिवादीगण**

**राजस्व वाद संख्या 120 सन 2017 निर्णय दिनांक 08.04.2017**

**वाद अन्तर्गत धारा ,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

आज यह वाद मुझ भानीराम आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 15/14 की कुल 8.9280 हैक् भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार रोही मौजा ढाणी बिजारणीया के खाता संख्या 3/3 की कुल 5.0840 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 10 ,11 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के साथ 1000/-रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल मिसल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

आज दिनांक 8.4.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से पर्चा-डिक्री जारी की गई।

**उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)**